दिल्ली विकास प्राधिकरण

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24.11.2021 को पूर्वाह्न 11:45 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे:

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री मनीष कुमार गुप्ता

<u>सदस्य</u>

1. श्री विजय कुमार सिंह
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2. श्री डी सी गोयल
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

3. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
   सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड

4. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक

5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक

6. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

7. श्री आदेश कुमार गुप्ता, निगम पार्षद, उत्तरी दि.न.नि

8. श्री कैलाश सांकला, निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

<u>सचिव</u>

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>विशेष आमंत्रिती</u>

1. श्री प्रवीण गुप्ता
   अपर मुख्य सचिव (यूडी), रा.रा.क्षे.दि.स.

2. डॉ राजीव कुमार तिवारी
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य, आवास एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

3. श्री संदीप कुमार
   सचिव (वित्त), रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार

4. श्री ज्ञानेश भारती
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

5. श्री संजय गोयल
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

6. श्री विकास आनंद
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>उप राज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला
   उप राज्यपाल की सचिव

2. श्रीमती साक्षी मित्तल
   उप राज्यपाल की विशेष सचिव

3. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया ।

<u>मद सं. 88/2021</u>

दिनांक 14.09.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(9)2021/एमसी/डीडीए

श्री सोमनाथ भारती, माननीय प्राधिकरण सदस्य द्वारा दिनांक 13.11.2021 की ई-मेल एवं आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. द्वारा दिनांक 20.10.2021 के नोट द्वारा दिनांक 14.09.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में सुझाए गए संशोधनों को अनुमोदित किया गया तथा इन संशोधनों को शामिल करते हुए प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>मद सं. 89/2021</u>

दिनांक 14.09.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(9)2021/एमसी/डीडीए/पार्ट

दिनांक 14.09.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई रिपोर्ट (एटीआरएस) को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नोट किया गया:

<u>श्री विजेन्द्र गुप्ता</u>

i. प्रस्तावित मुख्य योजना (मास्टर प्लान) सड़कों की रेखा में आने वाली कॉलोनियों के निवासियों द्वारा पीएम-उदय योजना के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान नहीं किया जा सकता है।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i. चूंकि, शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन के मानदंड दिमुयो-2021 मानदंडों से अलग है, अत: एक विद्यालय हेतु जंगपुरा में दि.ज.बो. भूमि के आवंटन के संबंध में मामले को विचार हेतु प्राधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए।
ii. खसरा सं. 277, विलेज हौज खास के संबंध में स्थगन आदेश हटाने हेतु कार्रवाई की जाए।
iii. विकास पुरी में अस्पताल के लिए भूमि आवंटन पर विचार किया जाए। भूमि उपयोग में परिवर्तन का पता लगाया जाए।

iv. गौतम नगर में खाली प्लॉट पर सामुदायिक सुविधाओं के विकास की व्यवहार्यता की जांच हेतु एक साइट निरीक्षण आयोजित किया जाए।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i. पीएम-उदय हेतु नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों का योजना के तहत पंजीकृत कराया जा सके। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।

ii. सभी समाप्त हो चुके पट्टों के नवीनीकरण की नीति में शीघ्रता लाई जाए।

iii. दिल्ली में अत्यधिक उच्च प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकारी एजेंसियों को सीएनजी स्टेशनों के लिए भूमि आवंटन में शीघ्रता लाई जाए।

iv. विश्वास नगर में 60 फुट आरओडब्ल्यू से संबंधित मामले पर स्थगन आदेश को हटाने के लिए प्राथमिकता आधार पर प्रयास किया जाए।

v. शांति स्वरूप भटनागर मार्ग के आरओडब्ल्यू पर अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के विकल्पों की तलाश की जाएं।

<u>मद सं. 90/2021</u>

योजना जोन-'ई' के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केंद्र, आनंद विहार, स्थित 10,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को 'व्यावसायिक' से 'आवासीय' में परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव। एफ.20(1)2019-एमपी

श्री विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भूमि उपयोग के 'व्यावसायिक' से 'आवासीय' में प्रस्तावित परिवर्तन की समीक्षा की जाए क्योकि इससे दिविप्रा को राजस्व की हानि होगी।

श्री ओपी शर्मा ने सुझाव दिया कि व्यावसायिक भूमि के प्रस्तावित आबंटन के स्थान पर कडकडडूमा कोर्ट के पास उपलब्ध भूमि का आबंटन इस उददेश्य के लिए किया जाए।

विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि इस उददेश्य हेतु आवासीय एवं गैर-वाणिज्यिक भूमि उपयोग के साथ वैकल्पिक स्थल की पहचान की जाए।

एजेंडा मद स्थगित किया गया।

<u>मद सं. 91/2021</u>

"दि.वि.प्रा. द्वारा स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास/पुनवार्स हेतु नीति" - उसका संशोधन.
एफ.2(43)2018/पीएमएवाई

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

श्री विजेंद्र गुप्ता ने भी सुझाव दिया कि दुकान चलाने वालों को भी स्वस्थाने पुनर्वास हेतु पात्र होना चाहिए। स्वस्थाने पुर्नवास का मुंबई मॉडल, जिसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, की उचित जांच की जानी चाहिए। जो व्यक्ति आबंटन राशि जमा नहीं करते हैं और परियोजना में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए। परियोजना स्थल को साफ करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की सकंल्पना की जानी चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि नीति को आगे सुधार करने के लिए सदस्यों के सुझावों की जांच की जानी चाहिए।

मद सं. 92/2021

विशेष आवासीय योजना 2021 (ऑनलाइन योजना) को प्रारंभ करना।
एफ.1/0224/2021/सी ओ आर डी/ - आवास (समन्वय)

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं 93/2021

आई एफ सी होलम्बी कलां, नरेला में परिवहन व्यापारियों को भूमि आबंटन हेतु पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.एस.) का निर्धारण।
एफ. 5 (11)2019/ए ओ (पी)/डी डी ए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अनुमोदन एवं अधिसूचना जारी करने हेतु इस मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

<u>प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्‌वारा उठाए गए 'अन्य बिंदु'</u>

<u>श्री विजेंद्र गुप्ता</u>

i. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के पद में बार-बार परिवर्तन से संगठन के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है।

ii. व्यावसायिक और मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में पट्टों की बहाली की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए। पट्टों को इकाई-वार बहाल किया जाना चाहिए और फिर उन्हें फ्री होल्ड में बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

iii. दि.वि.प्रा. रोहिणी और अन्य स्थानों में प्लॉटों हेतु कंपोजिशन शुल्क ले रहा है, जो दि.वि.प्रा. द्‌वारा बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आवेदन करने से पहले की तिथि से देय है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

iv. लैंड पूलिंग हेतु नीति में शीघ्रता लाई जाए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i. आया नगर और देवली विधानसभा क्षेत्रों में, प्रस्तावित मुख्य योजना (मास्टर प्लान) सड़कों के संरेखण में आने वाली कॉलोनियों के निवासी पीएम-उदय योजना के तहत पंजीकरण करने में असमर्थ हैं।

ii. हालांकि, प्राधिकरण ने पहले होटलों में व्यावसायिक उपयोग के लिए 40% एफ ए आर की अनुमति देने का निर्णय लिया था, यह दि.मु.यो.-2041 में 20% के रूप में दर्शाया गया है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त होटलों में व्यापार केन्द्रों और सम्मेलन सुविधाओं की अनुमति दी जानी चाहिए।

iii. विकासपुरी में अतिक्रमण से मुक्त 25 एकड़ भूमि पर आवश्यक आधारिक संरचना विकसित की जाए।

iv. चूंकि, सी एस सी एस/ एल एस सी एस में रेस्टोरेंट खुले में बैठने के लिए खाली जगह पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए इन जगहों को रेस्टोरेंट को आबंटित करने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए।

v. बेगमपुर में विजय मंडल पार्क में भूमि के संबंध में स्थगन आदेश को रद्द करने और स्थल पर पुनः अतिक्रमण को रोकने के प्रयास किए जाए।

vi. श्री सुबू आर, पूर्व आयुक्त(भूमि निपटान), दि.वि.प्रा. हेतु स्टाफ क्वार्टरों का इंटरपूल एक्सचेंज और उप राज्यपाल के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी श्री रंजन मुखर्जी के स्टाफ क्वार्टरों के इंटरपूल एक्सचेंज के कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार किया गया। इन मामलों की श्री विजेन्द्र गुप्ता ने भी सिफारिश की।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i. उनके निर्वाचन क्षेत्र में दो सामुदायिक भवन, जो पूर्ण हो चुके हैं, का प्राथमिकता आधार पर उद्घाटन किया जाए।

ii. संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। पिछले तीन वर्षों में प्राप्त परिवर्तन हेतु आवेदनों की संख्या एवं अनुमोदित फ्रीहोल्ड मामलों की संख्या पर विवरण उपलब्ध करवाया जाए।

iii. गाजीपुर में पेपर मार्केट के आबंटिती को पास में भराव क्षेत्र (लैंडफिल) के कारण अस्वास्थ्यकर वातावरण को देखते हुए अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य हेतु कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाना चाहिए।

<u>श्री आदेश कुमार गुप्ता</u>

i. दि.वि.प्रा. ने आर के पुरम में एक पुराने मंदिर एवं गोविंदपुरी में आर्य समाज मंदिर में किए गए निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए। सभी धार्मिक स्थलों में निर्माण को गिराने के मामले को धार्मिक समिति को भेजा जाना चाहिए।

ii. हालांकि, पीएम-उदय योजना के तहत कई आवेदन जमा किए गए हैं, लेकिन बहुत कम हस्तांतरण विलेख जारी गए। प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और जन केंद्रित बनाया जाए। दि.वि.प्रा. को अनधिकृत कॉलोनियों में कार्यालय खोलने चाहिए तथा इस प्रक्रिया में नगर निगमों को शामिल करना चाहिए।

iii. दि.वि.प्रा. को प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) के अंतर्गत स्वस्थाने स्लम पुनर्वास में शीघ्रता लानी चाहिए। पी एम ए वाई को शीघ्रता से लागू करने हेतु मुंबई के एस आर ए के समान नीति तैयार की जानी चाहिए।

iv. इन क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को रोकने हेतु जी डी ए नीति के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाने की आवश्यकता है।

v. औद्योगिक क्षेत्रों में उन्हें सेवा क्षेत्र/आई टी सिटी विकसित करने/कार्यान्वित एवं शीघ्र विकसित करने हेतु नीति।

vi. लैंडपूलिंग नीति में शीघ्रता लाई जाए।

<u>श्री कैलाश संकला</u>

i. दि.वि.प्रा. को स्वस्थाने स्लम पुनर्वास के कार्यान्वय में शीघ्रता लानी चाहिए।

ii. मंगोलपुरी में बाजार को पास की ग्राम सभा की भूमि पर री-सैटल किया जाये तथा बाजार का पुनर्विकास किया जाए।

iii. पुनर्चक्रण के लिए कचरे को अलग करने हेतु भूमि आबंटित की जाए।

iv. विकास एवं रखरखाव हेतु इन स्कूलों द्वारा स्कूल के पास के हरित भूमि के छोटे टुकड़ों को गोद लेने की अनुमति दी जा सकती है।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने हेतु सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****